

न्यायालय सखण्ड न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - सखार बनाम कालीरणी गोठ

किस्म मुकदमा :- कुदीमी रास्ता स्वीकृति प्रकरण सं./२१/२०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
25.06.2024	<p>आज मठ पत्रापत्ती तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्रांक अ. 392 दिनांक 02.05.2024 से प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने रोली रीयल्टी के रकम 44/253, 254/46, 260/51, 261/51, 259/51, 51, 30/53 में मौडा पर चल रहे कुदीमी रास्ता को राजस्व रिफंडि में अड्डन के प्रस्ताव प्रेषित किये हैं। कोई विपार या स्वागन नहीं बताया है। कोई विपार दिखनी नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार कुदीमी रास्ता राजस्व रिफंडि में अड्डन का आदेश पारित उच्च जाता है। तहसीलदार जरी हो पत्रापत्ती नंबर के फस होकर पारिवल दण्ड हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)</p>	<p>5935-37 26.06.2024</p> <p>GMS No. 2024/392</p> 

